न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी अरविन्द कुमार जाखड़ आर ए एस

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 21 / 2022 / बाड़मेर

अपीलांटगण	रेस्पोंडेंटगण
1. सोहनसिंह पुत्र उगमसिंह जाति राजपूत निवासी खारवा 2. गिरधारीराम पुत्र चिमनाराम जाति राईका निवासी खारवा तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर	1. आईदानराम पुत्र भभुताराम 2. पुनमाराम पुत्र आईदानराम 3. रामलाल पुत्र आईदानराम 4. शैतानराम पुत्र आईदानराम 5. किशोर कुमार पुत्र आईदानराम 6. शायरीदेवी पुत्री आईदानराम 7. कलुदेवी पुत्री आईदानराम 8. पारसी पुत्री आईदानराम 9. देवाराम पुत्र भभुताराम 10. सोहनीदेवी पत्नी हड़मानराम जातियान विश्नोई निवासी विरधाणीयों की ढाणी खारवा तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर 11. सवाईसिंह पुत्र उम्मेदसिंह जाति राजपूत निवासी खारवा 12. सांवलाराम पुत्र चिमनाराम का.मु. 12/1. हरीराम पुत्र सांवलाराम 12/2.गीता पुत्री सांवलाराम 12/3.भगाराम पुत्र सांवलाराम 12/4.कानू पुत्री सांवलाराम 12/5.दांखू पत्नी सांवलाराम जाति राईका निवासी खारवा 13. भाखर पुत्र चिमनाराम जाति राईका 14. छेलसिंह उर्फ छोगसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत 15. भूपेन्द्रसिंह पुत्र मनोहरसिंह 16. माधोसिंह पुत्र भंवरसिंह 17. मगनकंवर बेवा मनोहरसिंह 18. पूजाकंवर पुत्री मनोहरसिंह जातियान राजपूत निवासी खारवा 19. शांति पत्नी भाखरराम 20. शांति पत्नी गिरधारीराम 21. रामाराम पुत्र दुर्गाराम 22. शंकरराम पुत्र दुर्गाराम 23. जीवा पुत्र दुर्गाराम 24. दांखू पत्नी दुर्गाराम जाति रबारी निवासी खारवा 25. शाखा प्रबंधक एसबीआई बैंक पारल 26. राजस्थान राज्य जरिये भूमि धाकर पचपदरा

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व उपखण्ड अधिकारी बालोतरा द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 20/2021 बअनवान आईदानराम बनाम सवाईसिंह वगै. में पारित आदेश दिनांक 07.01.2022 व 13.01. 2022 के विरूद्ध पेश हुई ।

उपस्थित

1. वकील श्री उम्मेदसिंह चम्पावत अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री अचलाराम थोरी रेस्पोडेण्ट संख्या 01 से 10 की ओर से।

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

3. वकील श्री कैलाशचन्द्र माहेश्वरी रेस्पोडेंट संख्या 12/3 व 14 से 20 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः— 06.04.2022

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट व सहखातेदार के खेत खसरा नम्बर 288/191 रकबा 81.10 बीघा व खेत खसरा नम्बर 289/191 रकबा 26 बीघा एवं खेत खसरा नम्बर 290/191 रकबा 40 बीघा भूमि का रेस्पोडेंट संख्या 11 सवाईसिंह का खेत खसरा नम्बर 183 रकबा 104.08 बीघा भूमि में से नया रास्ता रेस्पोडेंट संख्या 01 से 10 द्वारा चाहा गया था। हस्तगत प्रकरण की पत्रावली को प्रशासन गांवों के संघ अभियान में दिनांक 12.10.2021 को कैंप ग्राम पंचायत कांकरला में रखी गई थी, उसके पश्चात उक्त पत्रावली को पेशी पर नहीं लिया गया व न्यायालय की कोज लिस्ट में ही उक्त पत्रावली पेशी पर ली गई व न न्यायालय की कोज लिस्ट में ही उक्त पत्रावली पेशी पर ली ई व न ही अपीलांट अधिवक्ता की वहस ही सुनी गई। उक्त रास्ता वावत आदेश दिनांक 07.01.2022 को व संशोधित आदेश दिनांक 13.01.2022 को उपखंड अधिकारी वालोतरा द्वारा न्याय प्रक्रिया से परे जाकर अपीलांट के साथ घोर अन्याय करते हुए पारित किया गया। जिसके विरुद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलव किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलव की गई। उपस्थित दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर वहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी वहस में वताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश ब्लैकफंग्स रोग से मृतक सांवलाराम के कायम मुकाम को अभिलेख पर लेने का प्रार्थना पत्र लंवित था, तत्पश्चात प्रशासन गांवों के संघ अभियान के दौरान पत्रावली पेशी पर नहीं आयी और एकतरफा कागजी खानापूर्ति कर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया, जवकि मृतक के वारिसान को नोटिस तक नहीं दिए गए। अपीलांटगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश जवाव में स्पष्ट वताया कि प्रार्थीगण/रेस्पोडेंट के खेत के चारों दिशाओं में पूर्व में ही चार रास्ते मौके पर विध्यमान है जिसका परिशिष्ट सहित पेश किया गया। रेस्पोडेंट/प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ते का विकल्प मौजूद होने के वावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस पर गौर किये विना अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जहां पर रास्ता प्रस्तावित किया गया वहां पर अपीलांटगण की आवासीय ढाणियां वनी हुई है। रेस्पोडेंट/प्रार्थीगण द्वारा अपीलांटगण को तंग एवं परेशान करने की नियत से अपीलाधीन आवेदन अधीनस्थ

राजस्व अपील अधिकारी
वाड़मेर

न्यायालय में पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पोडेंट संख्या 01 के अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई उसके आधार पर रेस्पोडेण्ट/प्रार्थी के खातेदारी भूमि खसरा संख्या 188 रकबा 100.08 बीघा ग्राम निम्बाणियों की ढाणी में आने-जाने के लिए इस रास्ते के अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। रेस्पोडेंट को उक्त रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। रास्ता रेस्पोडेंट/प्रार्थी की मूलभूत आवश्यकता है जिसका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जावे।

रेस्पोडेंट संख्या 12/3 व 14 से 20 के अधिवक्ता ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हम रेस्पोडेंटस को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया। प्रार्थीगण/रेस्पोडेंट के पास वैकल्पिक रास्ता होते हुए भी नवीन रास्ते की मांग की गई। अतः अपीलांटगण की अपील को स्वीकार फरमाया जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश को अपास्त किया जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के पश्चात पारित किया गया है जिससे अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया प्रतीत होता है। मौका फर्द दिनांक 14.07.2021 में स्पष्ट किया गया है कि विकल्प संख्या 02 अनुसार प्रस्तावित रास्ते हेतु क्र.सं. 01 व 02 के खातेदार सहमत होना बताया गया। क्र.सं. 03 के खातेदारान ने खसरा नं. 289/191 में निरीक्षक मौका जांच पश्चात प्रस्तावित रास्ते में घास फूस का छप्परा व क्र.सं. 04 के खातेदारान द्वारा खसरा नं. 288/191 में निरीक्षक मौका जांच पश्चात पत्थर की पटरीया खड़ी कर ऊपर टीन शेड डालकर कमरानुमा संरचना का निर्माण किया गया है। मौका फर्द दिनांक 14.07.2021 में रास्ते के तीन विकल्प बताये गये जिसमें से विकल्प नं. 01 में प्रस्तावित रास्ते की लंबाई 250 गड्डा लेकिन इसमें खसरा संख्या 289/191 दो भागों में विभाजित होता है, विकल्प नं. 02 में प्रस्तावित रास्ते की लंबाई 365 गड्डा है

राजस्व अपील अधिकारी
जालोर

जिसमें से खसरा नं. 183 व 185 में 190 गट्ठा के खातेदार रास्ता देने हेतु सहमत है किंतु खसरा नं. 289/191 व 288/191 में 175 गट्ठा के खातेदार रास्ता देने हेतु असहमत है। विकल्प नं. 03 में प्रस्तावित रास्ते की लंबाई 700 गट्ठा है जिसमें 390 गट्ठा ओरण भूमि है जो प्रतिबंधित भूमि है। उपरोक्त तीनों विकल्प में से विकल्प संख्या 02 को रास्ते के रूप में प्रस्तावित किया गया। विवादित खसरों के खातेदारों में से दो जनों ने अपील पेश की अन्य खातेदारों द्वारा अपील नहीं की गई इससे भी अन्य खातेदारों की मौन स्वीकृति नजर आ रही है। अपीलांटगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश जबाव में वर्णित वैकल्पिक रास्तें बताये गये वे राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। प्रदत्त अपीलाधीन रास्ते के अतिरिक्त प्रार्थीगण/रेस्पोडेंट के खेत से कटाण मार्ग तक पहुंचने का अन्य कोई नजदीक विकल्प नहीं है तथा प्रस्तावित रास्ते पर अपीलांटगण द्वारा अस्थाई निर्माण रास्ता नहीं देने की नियत से किया गया। अपीलांट द्वारा ऐतराज पर ऐतराज पेश किया जा रहा है जिससे अपीलांट की रास्ता नहीं देने की नीयत साफ झलकती है। वह प्रस्तावित रास्ते में अवरोध पैदा करने की कार्यवाही में लिप्त है। अपीलांट की गैर कानूनी मांग स्वीकार्य नहीं हैं। रेस्पोडेंट/प्रार्थी को रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता और अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नहीं होने से न्यूनतम दूरी वाला रास्ता दिया गया है जो नितांत विधि सम्मत एवं युक्तिसंगत है। अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए बाद विस्तृत विवेचन दिया है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती। अपीलांट की केवल हठधर्मिता के मद्देनजर रेस्पोडेंट/प्रार्थी को उसको मिले रास्ते के विधिक अधिकार से वंचित रखना कतई न्यायोचित नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील खारिज योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालोतरा द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 20/2021 बअनवान आईदानराम बनाम सवाईसिंह वगै. में पारित आदेश दिनांक 07.01.2022 व 13.01.2022 को यथावत रखा जाता है।

(अरविन्द कुमार जाखड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 06.04.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर